Reply in the matter of O.A. No. 496 of 2023 Satyendra Rawat V/s M/s Medical Pollution Control Committee & Ors. on behalf of Respondent No.-8

In the aforesaid matter, Shri Satyendra Rawat raised issue of violation of Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 by the unit M/s Medical Pollution Control Committee located in the Village-Sewai at Khasra No. 84-85 in the block Etmadpur, Agra (UP), which falls under Taj Trapezium Zone (TTZ).

It is submitted that as per the joint report submitted by Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Agra and Chief Town Planner (I/c), A.D.A./Nodal Officer, T.T.Z. Authority, Agra it is clear that the Bio-Medical Authorization granted to M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No. 84-85, Village-Sewai, Block-Etmadpur, Agra (UP) vide letter dated 15.10.2004 **(Annex.-1)** was revoked by U.P. Pollution Control Board vide letter dated 29.08.2005 **(Annex.-2)**. Further, M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No. 84-85, Village-Sewai, Block-Etmadpur, Agra (UP) has submitted the Bio-Medical Authorization application on dated 11.11.2011, which was refused by U.P. Pollution Control Board on dated 28.12.2011 **(Annex.-3)** and directed the unit to obtained Consent to Establish from U.P. Pollution Control Board before starting the construction work at the site in future.

The direction were again issued by U.P. Pollution Control Board to obtained Consent to Establish from U.P.P.C.B. vide letter dated 23.03.2012 **(Annex.-4)** to M/s Medical Pollution Control Committee. Again authorization application dated 30.10.2016 of M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No. 84-85, Village-Sewai, Block-Etmadpur, Agra (UP) was refused by U.P. Pollution Control Board vide letter dated 10.01.2017 **(Annex.-5)** and was directed to comply with the directions issued vide letter dated 23.03.2012 for obtaining Consent to Establish before starting the construction work at the site in future.

In compliance of the directions of Hon'ble N.G.T. order dated 13.12.2018 **(Annex.-6)** in O.A. No. 822 of 2017 Mahesh Chandra Sharma Vs. Union of India & Ors. M/s Medical Pollution Control Committee applied for N.O.C. / Clearance of TTZA. The issue was taken up in the 46th meeting of Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention & Control) Authority on dated 23.02.2019. It was decided in the meeting that a Committee should be constituted under the Chairmanship of Vice-Chairman, Agra Development Authority consisting Chief Medical Officer, Agra, Officer Incharge, Central Pollution Control Board, Agra and Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Agra as a member of the committee. The site was inspected on dated 16.05.2019 **(Annex.-7)** and report was submitted in the 47th meeting of T.T.Z. Authority on dated 10.06.2019. In which it is mentioned that during inspection the plant of M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No. 84-85, Village-Sewai, Block-Etmadpur, Agra (UP) was completely closed and Consent to Operate was not issued by U.P. Pollution Control Board. N.O.C. was issued by U.P. Pollution Control Board to the plant of

M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No. 84-85, Village-Sewai, Block-Etmadpur, Agra (UP) on dated 05.03.2004 **(Annex.-8)**, which is valid for 05 years and presently not effective and it was recommended by the committee that since Hon'ble Supreme Court in its order dated 22.03.2018 in W.P.(C) No.13381/1984 (M.C. Mehta Vs. Union of India & Ors.) has directed to maintain *status quo* and *ad-hoc moratorium* imposed by MoEF&CC, Govt. of India, so decision was taken that no clearance should be issued to M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No. 84-85, Village-Sewai, Block-Etmadpur, Agra (UP) **(Annex.-9)**.

Again, M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No. 84-85, Village-Sewai, Block-Etmadpur, Agra (UP) gave representation on dated 18.12.2019 regarding permission of TTZA. The matter was put up in the 50th meeting of Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention & Control) Authority on dated 24.12.2019. It was decided in the meeting that to put up the comprehensive report of the unit in the next meeting of TTZA **(Annex.-10)**. Later on in the 51st meeting of TTZ Authority dated 29.02.2020 it was decided as per the Hon'ble Supreme Court order dated 06.12.2019 in W.P.(C) No.13381/1984 (M.C. Mehta Vs. Union of India & Ors.) matter should be referred to NEERI and CEC for their concurrence and opinion **(Annex.-11)**. In the 55th meeting of TTZ Authority dated 16.12.2021, it was decided that action must be taken by M/s Medical Pollution Control Committee as per the Hon'ble Supreme Court order dated 08.12.2021 in W.P.(C) No.13381/ 1984 (M.C. Mehta Vs. Union of India & Ors.) **(Annex.-12)**.

No permission / clearance have been issued to M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No. 84-85, Village-Sewai, Block-Etmadpur, Agra (UP) by Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention & Control) Authority.

Chief Town Planner (I/c),
Agra Development Authority/
Nodal Officer,
T.T.Z. Authority,Agra

Annex IX

संलग्नक 441

Annex IV

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक / Ref. No. F 376(m) / C 4 / Bio medical / 13 / 2004   दिनांक / Date 15-10-2004

To,

M/S Medical Pollution Control Committee,
Khasra No. 84, 85, Sevai, Teh.Etmadpur.
Dist. Agra

Sub: Authorization for operating facility for (Collection Reception, Storage, Treatment, Transport and Disposal of Bio-Medical Wastes) under the provisions of Bio-Medical Waste) Rules. 1998 Amended Rule- 2000.

Sir,

Please refer to your application dated 28.9.04. Your application has been examined and thorization is being issued subject as under:-

1. File number of authorization and date of issue..............................
2. M/S Medical Pollution Control Committee, Khasra No. 84, 85, Sevai, Teh.Etmadpur, Dist. Agra is here by granted an authorization to operate a facility for collection, reception, storage, transport and disposal of bio-medical waste in the premises situated at Khasra No. 84, 85, Sevai, Teh.Etmadpur, Dist. Agra.
3. This authorization shall be in force for a period of one year from the date of issue for trial operation.
4. This authorization is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act, 1986.

Terms and conditions of Authorization

i) The authorization shall comply with provisions of the Environment (Protection Act, 1986 and the rules made there under.

ii) The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the prescribed authority.

iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the bio-medical waste without prior permission of the authority.

iv) Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.

v) It is duty of the authorized person to take prior permission of the prescribed authority to close down the facility.

vi) Hospital waste various categories as mentioned in schedule-I. Of Bio-Medical Waste rule,1998 (as amended) shall be handled as per treatment and disposal facilities mentioned in said rules.

vii) Bio-Medical Wastes must be segregated as per schedule-II

viii) Schedule-IV (Rule-6) shall be fully complied.

ix) Annual report shall be submitted in form-II regularly.

x) Compliance report of NOC issued vide letter dated 5/3/2004 shall be submitted within a month of issue of this letter.

xi) Proof of the land purchased (copy of registry) clearly stating area etc. shall be submitted within three months.

xii) The authorized agency must ensure full compliance of prescribed standards for treatment and disposal.

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ -226 010
दूरभाष : 720831, 720828, 720691, 720681

PICUP Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 720831, 720828, 720691, 720681
Fax : 0522-720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

27/68

xiii) Emission analysis report for incineration shall be sent within three months of issue of this letter.

xiv) Complete details of disposal of waste sharps / medicines must be sent separately.

xv) All other solid and liquid wastes which are not covered under Bio-medical Wastes, 1998 must also be properly handled and managed so that no adverse impact on the environment takes place.

xvi) Every year stack attached to incinerable shall be got monitored by Regional Office, Agra or an authorized lab approved by U.P.P.C.B.

xvii) Needle cutters shall be installed at all places segregated waste shall be treated in autoclave, shredder, chemical treatment and incinerate Air (Pollution Control System attached to incinerate shall be in working condition and be operated all the time).

xviii) Remaining works for secured land fill shall be completed immediately. Boundry/ fencing shall also be provided in the remaining part.

xix) Shed in which Incinerator and Thermoclave have been installed is quite small. Area of the Shed needs to be increased in due course if required.

xx) Temperature meters for primary and secondary chambers of incinerator needs replacement and calibration.

xxi) Complete details of the facility alongwith specification and capacity of incinerator, thermoclave etc. certified by manufacturer shall be submitted within a month of issue of this letter along with certificate of the manufacturer regarding performance of the equipment.

xxii) Automatic recording device to be installed for incinerator was reported to be under repair. It shall be installed immediately.

xxiii) Provision for graphic or computer recording devices which will automatically and continuously monitor and record dates, time of day, load identification number and operating parameters throughout the entire length of autoclave/ thermoclave cycle shall be done within a month of issue of this letter.

xxiv) Validation test (spore testing and routine test for thermoclave shall be performed regularly. Details regarding this as adopted shall be sent within a month.

xxv) Although collection facility for needle / sharps is proposed to be provided, needle Shredder has not been installed and must be installed immediately.

xxvi) Manually operated Shredder for category 4 and 7 waste was although available at site but was not installed. Manually operated Shredder does not appear to be of adequate capacity and may not suffice. Electric motor operated shredder shall be installed immediately.

xxvii) Gas fired generator shall be installed immediately.

xxviii) Stack Monitoring Platform and Ladder are installed but for safe climbing ladder needs modification and size of monitoring platform needs to be increased. Same shall be done within a month of issue of this letter.

xxix) No untreated biomedical waste shall be kept stored beyond a period of 48 hours after its generation. If for any reason it becomes necessary to store the waste beyond the prescribed period, permission as per provisions of the BMW rules must be obtained.

xxx) Treated waste shall be disposed off as per provisions of the BMW rules only.

xxxi) The list of members of CBMWF shall be sent to H.O.Lucknow and Agra every three months First list shall be sent within 15 days of start of facility.

Yours faithfully,

(Dr. C.S.Bhatt)
Member Secretary

Copy to Regional Officer, U.P.Pollution Control Board, Aligarh for information and necessary action.

Environmental Engineer(Circle-4)

संलग्नक-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० F50090
Ref. No.

919
29/9/05

दिनांक
Date 29-8-05

/सी–४/ बायोमेडिकल / मै० एम०पी०सी०सी०/७३/२००५ दिनांक

पंजीकृत

सेवा में,

मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,
खसरा संख्या–८४,८५, सेवई, तह० एतमादपुर,
जिला आगरा(उ०प्र०) ।

AE(S)'05

यह कि मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा जो कि अस्पतालों, नर्सिंग होम्स आदि से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु सामुहिक उपचार व्यवस्था के रूप में कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ की धारा १६ के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यतः आपकी जैव चिकित्सा अपशिष्ट की सामुहिक उपचार व्यवस्था मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा को बोर्ड के पत्रांक एफ३७६००/सी–४/बायोमेडिकल/१६/२००४, दिनांक १५.१०.०४ द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हस्तन) नियम, १९९८ यथासंशोधित नियम, २००० के अन्तर्गत ट्रायल हेतु सशर्त १ वर्ष के लिए प्राधिकार पत्र जारी (प्रदान) किया गया था।

यतः दिनांक १६.५.०५ को मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा का स्थल निरीक्षण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण में यह पाया गया कि :–

१. मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी को उक्त फेसिलिटी स्थापित किये जाने हेतु बोर्ड से जो पत्र सं० एफ२८५५२/सी–४/बायोमेडिकल/१६/२००४, दिनांक ५.३.०४ द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था उसकी शर्त सं०–१० के अनुसार क्रय किये जाने वाली भूमि एक एकड़ से कम नहीं होनी चाहिये थी किन्तु संस्था द्वारा मात्र ७५० वर्ग०मी० क्षेत्रफल में उपरोक्त फेसिलिटी स्थापित की गई है जो मानक से अत्यन्त कम है। जिसमें वाहनों का सुरक्षित अवागमन भी सम्भव नहीं है। उक्त स्थल पर शर्त सं० – ८ के अनुरूप हरित पट्टिका का निर्माण भी नहीं किया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा पूर्व में बोर्ड से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया ।
२. संस्था द्वारा इन्सीनिरेटर की क्षमता २०० किग्रा०/घंटा सूचित की गई है परन्तु वास्तविक क्षमता काफी कम प्रतीत होती है। इन्सीनिरेटर के मानक के अनुसार प्राइमरी चैम्बर में आटोमेटिक डबल डोर व्यवस्था के स्थान पर मैनुअल फीडिंग की व्यवस्था पाई

पिकप भवन, तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ -226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khar
Gomti Nagar, Lucknow - 226 0
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 27206
Fax : 0522-27207
e-mail : info@uppcb.c
Web Site : www.uppcb.c

३. गई जिसके कारण फीडिंग के समय चैम्बर का तापमान कम हो जाता है तथा फीडिंग के समय काफी धुँआ निकलता हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय इन्सीनिरेटर में प्लास्टिक वेस्ट जलाया जाता पाया गया। इस संबंध में उद्योग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बायो मेडिकल वेस्ट के समुचित पृथक्कीकरण न होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। निरीक्षण के समय प्राइमरी चैम्बर का तापमान ७१३ डिग्री सेन्टीग्रेट पाया गया। जो मानको के सापेक्ष कम है।

४. जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अनलोडिंग, भण्डारण एवं पृथक्करण हेतु उद्योग द्वारा समुचित व्यवस्था नहीं अपनाई गई है तथा उक्त अपशिष्ट को परिसर में लाने वाले वाहनों की धुलाई का कोई प्लेटफार्म नहीं पाया गया। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के भार मापन की व्यवस्था नहीं पाई गई तथा इसका समुचित रिकार्ड भी नहीं रखा जा रहा है। निरीक्षण के समय स्थल पर अपशिष्ट भी प्रचुर मात्रा में एकत्रित नहीं पाया गया। इन्सीनिरेटेड राख के भण्डारण हेतु ६'x ६' x १०' साइज के ४ पक्के पिट पाये गये जिनमें एक पिट में अल्प मात्रा में इन्सीनिरेटेड राख पायी गई। संस्था में प्लास्टिक व शार्प के एकत्रण, उपचार व निस्तारण का रिकार्ड नहीं पाया गया।

५. संस्था में इन्सीनिरेटर में अनवरत आटोमेटिक रिकार्डिंग की व्यवस्था तथा थर्मोक्लेव पर आटोमेटिक रिकार्डिंग व्यवस्था नहीं पाई गई तथा इन्सीनिरेटर में मानक के अनुसार खुली जगह नहीं है। इन्सीनिरेटर के संचालन हेतु स्थापित एल०पी०जी० सप्लाई बैंक की क्षमता कम है तथा प्रेशर रेगुलेटर स्थापित नहीं पाया गया। उक्त कार्य हेतु प्रयोग की जाने वाली गैस की रिकार्डिंग व्यवस्था नहीं पाई गई। विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में १५ के०वी०ए० का डी०जी० सेट स्थापित पाया गया जिसमें ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाना बताया गया जो टी०टी०जेड में प्रतिबन्धित है। संस्था द्वारा एन०ओ०सी० में दी गई शर्त के अनुसार गैस जेनरेटर की स्थापना नहीं की गयी है।

६. जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु स्थली पर श्रेडर, थर्मोक्लेव, इन्सीनिरेटर, वेन्चुरी स्क्रबर व ३० मी० ऊँची चिमनी पाई गई। चिमनी में स्टैक मानीटरिंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण निरीक्षण के समय इन्सीनिरेटर की स्टैक मानिटरिंग नहीं की जा सकी। उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु स्थापित ईकाईयों में स्लज ड्राइंग बैड तथा आयल ग्रीस रिमूवल की व्यवस्था नहीं पाई गई। मंगलपुर तथा दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग १ कि०मी० की दूरी पर ग्राम सवाँई स्थित है। स्थल से ५०० मी० की त्रिज्या में स्कूल, मन्दिर तथा शीतगृह स्थापित पाया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर आस–पास के अनेक ग्रामीणों द्वारा जैविक अपशिष्ट को खुले में निस्तारण किये जाने व इन्सीनिरेटर के संचालन के समय बदबू की समस्या से अवगत कराया गया।

७. संस्था द्वारा बोर्ड से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्राधिकार की शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

यतः मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवाँई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हस्तन) नियम, १९९८ यथासंशोधित नियम, २००० के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन कर जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु सामुहिक उपचार व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है।

यतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में जन स्वास्थ्य के हित में जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, १९९८ यथासंशोधित नियम, २००० के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवॉई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा को बोर्ड के पत्रांक एफ३७६००/सी–४/बायोमेडिकल/१६/२००४, दिनांक १५.१०.०४ द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, १९९८ के अन्तर्गत ट्रायल हेतु एक वर्ष के लिए जारी सशर्त प्राधिकार को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के पूर्व बोर्ड के पत्रांक एफ ४८४५५/सी–४/बायो मेडिकल/मे०एम०पी०सी०सी०/७३/२००५ दिनांक ७.७.०५ द्वारा कारण बताओं नोटिस निर्गत की गयी।

यतः कारण बताओं नोटिस दिनांक ७.७.०५ का उत्तर मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी द्वारा अपने पत्र दिनांक २१.७.०५ द्वारा प्रेषित किया गया परंतु उक्त उत्तर निम्नलिखित कारणों से संतोषजनक नही पाया गया:–

(I) एक एकड़ भूमि की रजिस्ट्री की प्रति अभी तक प्राप्त नही हुई है। दिनांक २५.७.०५ को पुनः क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से किये गये निरीक्षण में भी ७५० वर्ग मी० क्षेत्रफल में कामन फैसिलिटी की स्थापना पाई गई तथा यह पाया गया की हरित पट्टिका के विकास हेतु वॉछित प्रयास नही किये गये है।मामूली वृक्षारोपण लगभग १५ पेड़ लगाये गये है।

(II) इन्सीनेटर की क्षमता के सत्यापन हेतु मैनयूफैक्चर का सर्टीफिकेट अभी तक नही दिया गया है यद्यपि प्राधिकार की शर्त XXI में निर्देश दिये गये थे। दिनांक २५.७.०५ को किये गये निरीक्षण में भी इन्सिनेटर की क्षमता कम प्रतीत होना कहा गया है।आपका यह कहना उचित नही है कि सीपीसीबी गाइड लाइन में आटोमेटिक फीडिंग डिवाइस एवं डबल डोर प्राईमरी चैम्बर(गाइड लाइन के अनुसार हाट फ्लू गैसेस के लीकेज व बैक फायर रोकने हेतु व्यवस्था अपेक्षित है) का प्राविधान नही है। प्राइमरी चैम्बर का तापमान दिनांक १६.५.०५ की ७१३° से० व २५.७.०५ को २३४° से पाया गया । दिनांक २५.७.०५ को सेकन्ड्री चैम्बर का तापमान भी १५२° से० पाया गया जो बहुत कम है। प्लास्टिक वेस्ट को इन्सीनरेट करना आपने स्वयं स्वीकार किया गया है।

(III) आप द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट के अनलोडिंग,भण्डारण एवं पृथक व्यवस्था तथा भार मापन हेतु समुचित व्यवस्था होना बताया गया है जो उचित नही है। इंसिनेरटर ऐश हेतु बनाये गये पिट मे राख के साथ शीशियॉं आदि दिनांक २५.७.०५ को किये गये पुनः निरीक्षण में पाई गई तथा प्लास्टिक आदि वेस्ट के निस्तारण की भी समुचित व्यवस्था नही पाई गयी।

(IV) दिनांक २५.७.०५ को पुनः निरीक्षण में आटो क्लेव व ब्यालर संचालन में नहीं पाये गये तथा इनसिनिरेटर व थर्मो क्लेव पर अनवरत ऑटो मैटिक रिकार्डिंग की व्यवस्था नहीं पायी गयी।गैस की खपत का विवरण मौके पर उपलब्ध नही कराया जा सका । विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ड्यूल फ्यूल पर आधारित १५ के०वी०ए० क्षमता का जनरेटर सेट स्थापित किया गया है। एल०पी०जी० के प्रयोग हेतु जनरेटर के लिए सिलेण्डर बैंक की स्थापना नही की गयी है तथा अस्थायी रूप से मात्र एक सिलेण्डर जनरेटर से कनैक्ट किया गया था।प्रयुक्त

ईंधन(एल०पी०जी०) की खपत के संबंध में कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नही किया गया।जनरेटर से सम्बद्ध एक्जास्ट स्टैक की ऊँचाई मानकों के अनुरूप नहीं है।उल्लेखनीय है कि उक्त संस्था का संदर्भित स्थल टी०टी०जेड०प्रतिबन्धित क्षेत्र में स्थित है।

(V). दिनांक २५.७.०५ को निरीक्षण में पुनः पाया गया कि चिमनी के साथ गैसीय उत्सर्जन के नमूना एकत्रण हेतु समुचित एवं सुरक्षित व्यवस्था की स्थापना नही की गई है,अतः स्टैक मानीटरिंग नहीं की जा सकी। संस्था में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र में अन्य इकाइयों के साथ स्लज ड्राइंग बैड्स तथा ऑयल ग्रीस ट्रेप की व्यवस्था नही की गयी है।

आप द्वारा उत्तर में कहा गया है कि दिनांक ८.६.०५ को केन्द्रीय प्रदूष्ण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा किये गये निरीक्षण में सभी व्यवस्था ठीक पाई गई गलत है। केन्द्रीय प्रदूष्ण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक ८.६.०५ में अनेको कमियाँ पाई गई है एवं केन्द्रीय प्रदूष्ण नियंत्रण बोर्ड, ने मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवँाई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा, के विरूद्ध बन्दी की कार्यवाही करने को कहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में जन स्वास्थ्य के हित में जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, १९९८ यथासंशोधित नियम, २००० के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं व्यापक जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवँाई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा को बोर्ड के पत्रांक एफ३७६००/सी–४/बायोमेडिकल/१९/२००४, दिनांक १५.१०.०४ द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, १९९८ के अन्तर्गत ट्रायल हेतु एक वर्ष के लिए जारी सशर्त प्राधिकार को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(डा० सी० एस० भट्ट)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–

१. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

E97025

ई0 प/बी एन0 30ए 19/2011 28-12-11

सेवा में,

मै0 मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,
खसरा नम्बर–84 एवं 85,
ग्राम–सवाई, एत्मादपुर
आगरा।

विषयः बायो मेडिकल वेस्ट रूल्स, 2000 के अंतर्गत प्राधिकार आवेदन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्राधिकार आवेदन पत्र दि0–11.11.2011 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। आपके उद्योग का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा स्तर से दि0–15.11.2011 को किया गया तथा पाया गया कि स्थल पर केवल चार दीवारी स्थित है, प्लाण्ट एवं मशीनरी स्थापित नहीं है। आपके आवेदन पत्र में बायो–मेडिकल प्रोसेस यूनिट के संचालन हेतु प्राधिकार की अनुमति मांगी गई है। स्थल पर कोई भी मशीनरी बायो–मेडिकल प्रोसेसिंग न होने के कारण प्रोसेसिंग यूनिट को संचालन का प्राधिकार नहीं दिया जाता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उद्योग का प्राधिकार आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उद्योग पुनः उक्त स्थल पर स्थापना संबंधी कार्य करना चाहता है तो स्थापना के पूर्व सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में उद्योग निर्धारित अनापत्ति आवेदन प्रपत्र पर वांछित शुल्क एवं अन्य वांछित सूचनाओं सहित राज्य बोर्ड को प्रेषित कर सकता है।

भवदीय,

(डा0 सी0 एस0 भट्ट)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

27/12/11
वृत्त अधिकारी, वृत्त–4

F:\...\Nodal information & grossly c\c\BMW_MSW\letters.doc

मैसर्स मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा नं0–84 एवं 85, ग्राम सवाई, तहसील–एत्मादपुर, जनपद–आगरा की निरीक्षण आख्या के संबंध में।

आपके निर्देशानुसार उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीकर्ता द्वारा दिनांक 15.11.11 को किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है–

1. निरीक्षण के समय उद्योग स्थल पर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था तथा उद्योग स्थल पर केवल चार दीवारी स्थित पायी गई। उद्योग स्थल पर कोई भी प्लाण्ट एवं मशीनरी स्थापित नहीं पाई गई।

2. पूर्व में खसरा नं0–84 एवं 85, ग्राम सवाई, तहसील–एत्मादपुर, जपनद–आगरा में कामन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी स्थापना हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एफ28552/सी–4/एन0ओ0सी0/19/04 दिनांक 05.03.2004 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा पत्रांक एफ 37600/सी–4/बायोमेडिकल/19/04 दिनांक 15.10.2004 के द्वारा एक वर्ष के लिए जारी सशर्त प्राधिकार निर्गत किया गया था।

3. उद्योग के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक 48455/सी–4/बायोमेडिकल/मै0 एम0पी0सी0सी0/73/2005 दिनांक 07.07.2005 के द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था तथा पत्रांक एफ 50090/सी–4/बायोमेडिकल/मै0 एम0पी0सी0सी0/73/2005 दिनांक 29.08.2005 के द्वारा मै0 मेडीकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी को पत्रांक एफ 37600/सी–4/बायोमेडिकल/19/04 दिनांक 15.10.2004 बोर्ड द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1998 के अन्तर्गत ट्रायल हेतु एक वर्ष के लिए जारी सशर्त प्राधिकार को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया था।

निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(सुशील कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

(Nirajan ...)

क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक-449

F-01526 23-3-12

सेवा में,

डा० विनय कुमार वर्मा,
सैक्रेटरी,
मै० मेडिकल पाल्यूशन कान्ट्रोल कमेटी,
२१, ई ब्लाक, पनकी,
कानपुर – २०८०२०

विषय : जनपद आगरा के ताज शहर में १०० प्रतिशत नानबर्न नवीनतम तकनीक आधारित सी०सी०डब्लू०टी०एफ० संबंधी प्राधिकार/आवेदन के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनॉक–२३.०१.२०१२ का संदभ ग्रहण करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा आपका ध्यान निम्नलिखित बिन्दुओं पर आकृष्ट किया जाता है :–

आप द्वारा पुराने प्लाण्ट को रिप्लेस करते हुए नॉनबर्न टैक्नॉलाजी की स्थापना हेतु इस कार्यालय में आवेदन प्रेषित किया गया है। इस कॉमन बायो–मेडिकल फैसिलिटी को पूर्व में बोर्ड द्वारा वर्ष, २००४ में सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। आप द्वारा पूर्व में अपने उपरोक्त स्थल पर प्राधिकार निर्गत किये जाने हेतु आवेदन किया था जिसे बोर्ड द्वारा अपने पत्र दिनॉक–२८.१२.२०११ के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था क्यों कि उस स्थल पर केवल चार दीवारी पायी गयी थी। अग्रेत्तर आपको यह भी निर्देश दिये गये थे कि आप अगर भविष्य में पुनः उक्त स्थल पर स्थापना संबंधी कार्य करवाना चाहते हैं तो राज्य बोर्ड से स्थापना से पूर्व सहमति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी परन्तु आप द्वारा इस संबंध में कोई आवेदन पत्र प्रेषित नही किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपके औद्योगिक संयंत्र मैसर्स मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, कानपुर को निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:–

१. उक्त प्रस्तावित सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था के पूर्व स्थापना (अनापत्ति प्रमाण–पत्र) प्राप्त करे, उसके पश्चात् ही उद्योग में अग्रिम निर्माण करे तत्पश्चात् ही प्राधिकार निर्गमन पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी संभव होगी।
२. बोर्ड के पूर्व पत्र संख्या–एफ–६७०२५/सी–४/२०११, दिनॉक–२८.१२.२०११ के द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० सी० एस० भट्ट)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

१. महानिदेशक, चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य, उ०प्र० शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. अध्यक्ष, ताज ट्रैपेजियम जोन प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय, आगरा मण्डल, आगरा ।
३. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, लखनऊ ।
४. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सदस्य सचिव

D:\General.doc

ANNEXURE A-9

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 73830 सी-4/बायोमेडिकल वेस्ट-19/2016 दिनांक

सेवा में,

मे0 मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,
खसरा सं0-84 एवं 85, ग्राम-सवाई, एत्मादपुर,
आगरा।

विषयः-कॉमन बायो मेडिकल ट्रीटमेन्ट फैसेलिटी (सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0) के संचालन के लिये प्राधिकार आवेदन के संबंध।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक-13.10.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके कॉमन बायो मेडिकल ट्रीटमेन्ट फैसेलिटी को स्थापनार्थ बोर्ड द्वारा वर्ष 2004 में संशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। आप द्वारा पूर्व में उपरोक्त स्थल पर प्राधिकार निर्गत करने हेतु आवेदन किया था, जिसे बोर्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक-28.12.2011 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था तथा निर्देशित किया गया था कि यदि आप उक्त स्थल पर स्थापना संबंधी कार्य करवाना चाहते हैं, तो राज्य बोर्ड से स्थापना पूर्व सहमति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगा। आप द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक-28.12.2011 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु कोई आवेदन पत्र प्रेषित नहीं किया है। अग्रेत्तर बोर्ड के पत्र दिनांक-23.03.2012 के माध्यम से आपके औद्योगिक इकाई मे0 मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा सं0-84 एवं 85, ग्राम-सवाई, एत्मादपुर, आगरा को निर्देशित किया गया कि

1. उक्त प्रस्तावित सामूहिक जैव-चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था के पूर्व स्थापना (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करें उसके पश्चात ही उद्योग में अग्रिम निर्माण करें तत्पश्चात ही प्राधिकार निर्गमन पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी सम्भव होगी।
2. बोर्ड के पूर्व पत्र सं0-67025/सी-4/2011, दिनांक-28.12.2011 के द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

आप द्वारा उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में संस्थान का प्राधिकार आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

भवदीय,

(एस0सी0 यादव)
सदस्य सचिव

मूलप्रति पर नहीं।
प्रतिलिपि- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि 07 दिनों में अपना स्पष्टीकरण दें कि उक्त इकाई के आवेदन पत्र पर क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या मुख्यालय क्यों नहीं प्रेषित की गयी। क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या हेतु मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4 के पत्र सं0 90595/सी-4/बी.एम.डब्ल्यू.-19/16 दिनांक-21.11.2016 द्वारा निर्देश दिये गये थे।

सदस्य सचिव

Picup Bhawan, 3rd Floor, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone: 0522-2720831, 2720691, 2720828
Fax: 0522-2720764
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

Item No.44 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 822 of 2017
(M.A. No. 1566/2017)

In the matter of :-

Mahesh Chandra Sharma Applicant(s)

Versus

Union of India & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 13.12.2018

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE RAGHUVENDRA S. RATHORE, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. SATYAWAN SINGH GARBYAL, EXPERT MEMBER

For Applicant(s)	Mr. Rahul Choudhary and Mr. Sharon Mathew Advocates
For Respondent(s)	Mr.Pradeep Misra and Mr. DaleepDhyani, Advocates for R-4 Mr. Thakur Sumit, Advocate for R-1 Mr. Raj Panjwani, Sr. Advocate with Mr. Jalej Kumar, Advocate for R-9 Mr. Gaurav Agarwal, Advocate for R-7 &8 Mr. Satish Kumar, Advocate for CPCB

ORDER

1

On request of both the sides, this original application is being disposed of with the following directions:-

1. That respondent no.9- 'M/s. Medical Pollution Control Committee shall approach respondent no.8- TTZ Authority, Agra and file an application for seeking their clearance in respect of project in question. The TTZ authority shall look into the application for clearance in accordance to law, but not later than one month from the receipt of the application.
2. On having obtained the clearance from TTZ Authority, Agra the respondent no.9 shall seek consent /authorization from UPPCB-respondent no.4
3. The UPPCB is also to look into the status of another unit relating to bio medical waste treatment which was known as Dutt Enterprises and now it is been renamed as M/s. JRR Enterprises.
4. In case M/s JRR Enterprises does not possess the requisite clearance/approval from TTZ Authority and other authorities, then PCB shall immediately proceed against it in accordance to law.

Accordingly, original application no. 822/2017 is dispose of, with no order as to cost.

M.A. No. 1566/2017

As the original application has been decided, the misc. application (1566/2017) does not survive and is dismissed, with no order as to cost.

Raghuvendra S. Rathore, JM

Dr.Satyawan Singh Garbyal, EM

December 13, 2018

मै0मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, गाटा सं0 84 एवं 85, ग्राम–संवाई, तहसील–एत्मादपुर, जिला–आगरा के प्रकरण के परीक्षण हेतु गठित समिति की रिपोर्ट।

दिनांक 23.02.2019 को सम्पन्न "ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण" की 46वीं बैठक में मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0 7 (23.02.2019) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर टी0टी0जेड0 प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् निर्णय पारित किये गये हैं–

"....विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण का परीक्षण किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा सदस्य नामित किये जाते हैं। गठित कमेटी द्वारा परीक्षण कर संयुक्त रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाये। समिति की रिपोर्ट सहित प्रकरण टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।"

टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की उक्त बैठक के उपरोक्त निर्णयानुक्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक 16.05.2019 को मै0 मेडिकल पॉल्युशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा सं0–84 एवं 85, ग्राम–संवाई, तहसील–एत्मादपुर, जिला–आगरा का संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. निरीक्षण के समय प्लाण्ट पूर्णतया बन्द पाया गया है।
2. मै0 मेडिकल पॉल्युशन कन्ट्रोल कमेटी के कोआर्डिनेट 27°15'27"N एवं 78°11'38" E हैं। पूर्व–पश्चिम दिशा में स्थल से लगभग 125 मीटर की दूरी पर 10x10 की फीट मजार व एत्मादपुर बरहन लिंक रोड एवं स्थल से लगभग 140मी0 की दूरी पर एक 8x8 फीट के कक्ष में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति का मन्दिर एवं पूर्व दिशा में लगभग 1.0 कि0मी0 दूरी पर ग्राम–रसूलपुर (आबादी लगभग 700) स्थित है। मजार के निकट के कोआर्डिनेट 27°15'26"N एवं 78°11'42" E हैं। दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 400 मी0 की दूरी पर एक गैस गोदाम स्थापित है। दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 400 मी0 की दूरी पर ग्लोबल एजूकेशनल एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैण्ट स्थापित है।
3. पश्चिम दिशा में स्थल से लगभग 100 मी0 की दूरी पर एक गोदाम स्थापित है व लगभग 1.5 कि0मी0 की दूरी तक कृषि भूमि स्थित है।
4. उत्तर–पश्चिम दिशा में लगभग 900 मी0 तक कृषि भूमि, तत्पश्चात् ग्राम–मंगलपुर (आबादी लगभग 400) स्थित है।
5. उत्तर दिशा में लगभग 1.5 कि0मी0 की दूरी तक कृषि भूमि स्थित है।
6. दक्षिण दिशा में लगभग 125 मी0 की दूरी पर एस0के0 सुकन्या प्राईमरी स्कूल (प्राईवेट) एवं स्कूल से लगा हुआ जयबालाजी शीतगृह, (कोआर्डिनेट 27°15'23"N एवं 78°11'42"E) तत्पश्चात् लगभग 500 मी0 की दूरी पर ग्राम–संवाई (आबादी लगभग 3000) स्थित है।

समिति द्वारा पाया गया कि मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 822/2017 में मा0अधिकरण द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं–

....2

(2)

"On request of both the sides, this original application is being disposed of with the following directions:-

1. That respondent no.9- M/s.Medical Pollution Control Committee shall approach respondent no. 8 TTZ Authority, Agra and file an application for seeking their clearance in respect of project in question. The TTZ authority shall look into the application for clearance in accordance to law, but not later than one month from the receipt of the application.
2. On having obtained the clearance from TTZ Authority, Agra the respondent no.9 shall seek consent/authorization from UPPCB-respondent no.4.
3. The UPPCB is also to look into the status of another unit relating to bio medical waste treatment which was known as Dutt Enterprises and now it is been renamed as M/s JRR Enterprises.
4. In case M/s JRR Enterprises does not possess the requisite clearance/ approval from TTZ Authority and other authorities, then PCB shall immediately proceed against it in accordance to law.

Accordingly, original application No. 822 / 2017 is dispose of, with no order as to cost."

दिनांक 07.01.2015 को सम्पन्न 'ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण' की 32वीं बैठक में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बिन्दु सं0 3(1) के अन्तर्गत निम्नंवत् निर्णय पारित किये गये हैं–

"समस्त सम्बन्धित विभाग यथा जिला उद्योग केन्द्र, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गेल गैस लि0 एवं अन्य को निर्देशित किया गया कि भविष्य में टी0टी0जैड0 अथॉरिटी की अनुमति के बिना ताज प्रतिबन्धित सीमा के अन्दर किसी नये वायु प्रदूषणकारी/गैस आधारित उद्योगों की स्थापना एवं स्थापित/चालित उद्योगों की वर्तमान स्थापित क्षमता में विस्तारीकरण/स्थापना हेतु अनुमति/अनापत्ति नहीं दी जाएगी।"

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मै0 मेडिकल पॉल्युशन कन्ट्रोल कमेटी को Consent to Operate (C.T.O.) जारी नहीं की गयी है। सदस्य–सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा मै0 मेडिकल पॉल्युशन कन्ट्रोल कमेटी को पत्रांक–एफ28552/सी–4/एन.ओ.सी./19/04 दिनांक 05.03.2004 **(संलग्नक–1)** द्वारा Consent to Establish (C.T.E.) जारी की गयी है, जो 05 वर्ष के लिए वैध होती है, वर्तमान में प्रभावी नहीं है।

वर्तमान में जनपद आगरा में जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु मै0 जे0आर0आर0 वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0लि0 प्लाण्ट संचालित है, जिसे उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Consent to Operate (C.T.O.) प्राप्त है एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक–एच32298/बीएमडब्लू अथॉराईजेषन/19 दिनांक 05.02.2019 **(संलग्नक–2)** द्वारा अथॉराईजेशन जारी किया गया है, जो पांच वर्ष तक वैध है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.03.2016 को जारी वर्गीकृत उद्योगों की सूची में Common treatment and disposal facilities (CETP, TSDF, Ewaste recycling, CBMWTF, effluent conveyance project, incinerator, solvent/ acid recovery plant, MSW sanitary land fill site) को लाल श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया है।

.....3

(3)

सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 08.09.2016 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त में ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में सफेद श्रेणी के अतिरिक्त लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के संचालित उद्योगों के विस्तारीकरण एवं नये उद्योगों के स्थापना पर अस्थाई प्रतिबंध लागू किया गया है। बैठक के बिन्दु सं0 (xi) के अन्तर्गत पारित निर्णय निम्नवत् उद्धृत है–

"Ad-hoc moratorium on the expansion and setting up of new industry (except white category) to control air pollution by TTZA."

मा0सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका (सिविल) सं0 13381/1984–एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में आई0ए0 सं0 57183/2017 के अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.2018 को *Status quo* के आदेश पारित किये गये है, जो कि निम्नवत् उद्धृत हैं–

"......It is stated by learned counsel for the State of Uttar Pradesh that the first draft of the vision document will take about four months. Until then, there will be a *status quo* in the Taj Trapezium Zone (TTZ).

उक्त प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखों तथा परीक्षण उपरान्त समिति द्वारा यह मत स्थिर किया गया कि मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.03.2018 के अनुसार वर्तमान में सम्पूर्ण ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में *Status quo* के आदेश तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की बैठक दिनांक 08.09.2016 के निर्णयानुसार सम्पूर्ण ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में तदर्थ रोक प्रभावी है, ऐसी स्थिति में मै0 मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी को गाटा सं0 84 एवं 85, ग्राम–सवाई, तहसील–एत्मादपुर, जिला–आगरा पर बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्लाण्ट के संचालन हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किया जाना उचित नहीं है।

अतः टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.02.2019 में पारित निर्णयानुक्रम में समिति की संयुक्त आख्या टी0टी0जैड0 प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में निर्णयार्थ प्रेषित है।

(भुवन प्रकाश यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा

(विपुल कुमार सिंह)
वरि0वैज्ञा0सहा0
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा

(डा0 मुकेश वत्स)
मुख्य चिकित्साधिकारी,
आगरा

(शुभ्रा सक्सेना)
उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पिकप भवन, तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सन्दर्भ संख्या F-22552/सी-4/[illegible]/19/05 दिनांक 5-3-04

सेवा में,

मे0 मेडिकल पल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,
[illegible] ई ब्लाक, पनकी,
कानपुर।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नई इकाई की स्थापना हेतु/ [illegible] (कामन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, आगरा) [illegible] विस्तार/ [illegible] कार्यान्वीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 13-1-2004 का सन्दर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थल : खसरा नं० [illegible], ग्राम– [illegible], तहसील– एत्मादपुर, जिला–आगरा

[illegible]

(ग) मुख्य कच्चे माल ...... नर्सिंग होम तथा अस्पतालों से एकत्रित बायो मेडिकल वेस्ट

(घ) औद्योगिक [illegible] बहिःस्राव की मात्रा ...... ५०० ली०/दिन

(ङ) प्रयुक्त ईंधन ...... एल०पी०जी०/सी०एन०जी० [illegible] ५.० किग्रा०/दिन

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2\. [illegible] आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण [illegible] की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर [illegible] करें।

[illegible] इकाई में [illegible] उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि यह बोर्ड से जल एवं वायु [illegible] अन्तर्गत सम्मति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन [illegible] से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को [illegible] करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त [illegible] करता है तो उक्त अधिनियमों के दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध [illegible] वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा ८४० ली०/दिन .... से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

8. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ....१४-६-२००७.... तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

९- त्रैमासिक प्रमाण पत्र फार्म -१४३ जे०आर०एम०ए० के अन्तर्गत [illegible] के अन्दर प्रेषित करें।

- उद्योग के चारों ओर हरित पट्टिका का निर्माण किया जावे एवं उसमें तेजी से उगने वाले वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाये।

- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र आप द्वारा स्वयं क्रय की जाने वाली भूमि पर स्थापित करने हेतु वैध है।

१०- क्रय की जाने वाली भूमि एक एकड़ से कम नहीं होनी चाहिये।

११- [illegible] वेस्ट वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाना चाहिये।

१२- प्रत्येक दूसरे दिन वेस्ट उठाने का एग्रीमेन्ट किया जाये ताकि ४८ घन्टे से ज्यादा वेस्ट इकट्ठा न रहे। *[handwritten: ... 150 km radius ... [illegible]]*

१३- नर्सिंग होम्स को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्राविधान किया जाये।

१४- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं बायोमेडिकल रूल्स के अनुसार अलग-अलग कैटेगरी के वेस्ट अलग-अलग ट्रीट करें।

१५- इन्सीनिरेटर में लगा स्क्रबर की स्टैक बोर्ड के मानकों के अनुरूप हो।

१६- [illegible] सि या एल०पी०जी० आधारित इन्सीनिरेटर [illegible] कि०ग्रा०/घन्टा से ज्यादा क्षमता, [illegible] स्थापित करें।

१७- निकलने वाले जल उत्प्रवाह के ट्रीटमेन्ट के पश्चात सोलर इवापोरेशन टैंक में एकत्रित करें इसे कहीं निस्तारित न करें।

१८- बाउन्ड्रीवाल अवश्य बनवायें।

१९- नियमानुसार अथराईजेशन अवश्य लें।

२०- उद्योग का पर्यावरण वक्तव्य प्रत्येक वर्ष ३० सितम्बर तक बोर्ड में अवश्य जमा करें।

२१- *[handwritten: ... Shredder and [illegible]]*

२२- नगर निगम, आवास तथा अन्य सम्बन्धित स्थानीय निकाय की इस अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जमा करायी जाये एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर उनसे यदि कोई अनुमति प्राप्त करनी हो तो प्राप्त करें।

२३- वेस्ट को लाने हेतु बन्द वाहनों का प्रयोग करें।

२४- निकलने वाली गैस के शुद्धिकरण हेतु वेन्चुरी स्क्रबर लगायें। इन्सीनिरेटर सेट गैस या एल०पी०जी० से चलाया जाये।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक [illegible] तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं. /एन. ओ. सी. तद् दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र [illegible]
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा

संलग्नक— 9

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0 3 (06.12.2018)
जनपद मथुरा में वृंदावन स्थित यमुना नदी के घाटों का विस्तार, नवीनीकरण एवं सौन्दर्यीकरण परियोजना हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में—अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, मथुरा की अध्यक्षता में गठित 'समिति' की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हो सकी है।

चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि सिंचाई विभाग द्वारा नालों की टैपिंग का प्रस्ताव नगर विकास विभाग/उ0प्र0जल निगम से तैयार कराया जाये। 'समिति' द्वारा संयुक्त रिपोर्ट टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाये। 'समिति' की संयुक्त रिपोर्ट सहित प्रकरण टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही—डी0एम0मथुरा, सिंचाई विभाग, जल निगम, आगरा)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0 3 (23.02.2019)
ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा, हाथरस एवं एटा (उ0प्र0) में भिन्न–भिन्न स्थलों पर 16 नये कोल्ड स्टोरेज की स्थापना/संचालन हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में—निर्देश दिये गये कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्टेट इन्वायरनमेन्टल इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी द्वारा आरोपित शर्तों/प्रतिबंधों के आधार पर तदर्थ रोक से छूट प्रदान की गयी है, के परिप्रेक्ष्य में केस–टू–केस आधार पर परीक्षण करते हुये आख्या उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही—टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0 4 (23.02.2019)
आगरा के ग्रामीण क्षेत्र धनौली/बल्हेरा/अभयपुरा में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नये सिविल एन्कलेव के निर्माण हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में—बैठक में निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि सिविल एन्क्लेव योजना के अन्तर्गत सिविल एन्क्लेव में 30,000 वर्गमी0 बिल्टअप एरिया है, जो कम नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 300 केएलडी का एस.टी.पी. भी प्रस्तावित है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 'एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी' की बैठक दिनांक 17.01.2019 में सिविल एन्क्लेव हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया है लेकिन अभी तक पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी है। मा0सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु आगामी तिथि 12.07.2019 प्रस्तावित है।

विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परियोजना के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट एवं बिल्टअप एरिया 5,000 वर्गमी0 से अधिक होने के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लगायी गयी तदर्थ रोक के सम्बन्ध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से स्थिति स्पष्ट करायी जाये। रिट याचिका (सिविल) सं0 13381/1984 (एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इंडिया व अन्य) के अन्तर्गत सिविल एन्क्लेव का प्रकरण मा0सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वर्तमान में प्रकरण को स्थगित रखा जाये।

(कार्यवाही—निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, आगरा)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0 5 (23.02.2019)

खसरा सं0 84 व 85, ग्राम–संवाई, एत्मादपुर, आगरा पर बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्लाण्ट के संचालन हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में—समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में Status quo तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा लगायी गयी तदर्थ रोक प्रभावी है। समिति द्वारा

अपनी रिपोर्ट में मै0मेडिकल पोल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी को खसरा सं0 84 व 85, ग्राम–संवाई, एत्मादपुर, आगरा पर बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्लाण्ट के संचालन हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किया जाना उचित नहीं पाया गया है।

अतः समिति की संस्तुति के कम में टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से मै0मेडिकल पोल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी को प्रश्नगत खसरे पर बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्लाण्ट के संचालन हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने का प्रस्ताव निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही–टी0टी0जैड0प्रा0, आगरा)

<u>मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0 7 (23.02.2019)</u>

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में स्थित एयर पोल्यूटिंग इण्डस्ट्रीज एवं नॉन–एयर पोल्यूटिंग इण्डस्ट्रीज की पहचान किये जाने हेतु सदस्य–सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में–समिति की रिपोर्ट के साथ संलग्न (एनेक्जर–3 व 6) वायु प्रदूषण स्कोर 10 से अधिक वाली ऐसी परियोजनायें/गतिविधि, जो प्रदूषण कम करने में सहायक एवं महत्वपूर्ण हैं तथा वह उद्योग, जो जनहित की दृष्टि से आवश्यक हैं, को अनुमन्य किये जाने पर विचार किए जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा संलग्नक–3 व 6 में उल्लिखित परियोजना/गतिविधियों पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को निर्णयार्थ संदर्भित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि संलग्नक–3 व 6 में उल्लिखित ऐसी परियोजनायें/गतिविधि, जो प्रदूषण कम करने में सहायक एवं महत्वपूर्ण हैं तथा वह उद्योग, जो जनहित की दृष्टि से आवश्यक हैं, को ही दृष्टिगत रखते हुये 'समिति' द्वारा अपनी रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही–टी0टी0जैड0प्राधिकरण)

<u>मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0 9 (23.02.2019)</u>

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित "ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण" के कार्यों के सफल एवं सुचारू संचालन के सम्बन्ध में–निर्देश दिये गये कि प्रमुख सचिव, पर्यावरण अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्रांक–329/55–पर्या–2–201908(ताज)/2002 दिनांक 30.04.2019 के क्रम में सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की ओर से पत्र प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही–टी0टी0जैड0प्रा0,आगरा)

<u>मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0 3 (10.06.2019)</u>

यमुना नदी पर आगरा शहर में स्थित ताजमहल के 1.5 कि0मी0 डाउन स्ट्रीम में रबर डैम के निर्माण की परियोजना हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में–मुख्य अभियंता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, ओखला, नई दिल्ली ने अपने पत्र सं0 नि–804/मु0अ0य0 दिनांक 19.03.2019 द्वारा यमुना नदी पर आगरा शहर में स्थित ताजमहल के 1.50 कि0मी0 डाउन स्ट्रीम में रबर डैम परियोजना के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा ताजमहल के 1.50 कि0मी0 डाउनस्ट्रीम में रबर डैम का निर्माण की परियोजना तैयार की गयी है, जिसकी लागत रू0 413.34 करोड़ है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्र सं0 440 दिनांक 25.05.2019 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना भारत सरकार के EIA नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 की श्रेणी 8a के अन्तर्गत आच्छादित है, इसलिए परियोजना की स्थापना से पूर्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति (Prior Environmental Clearance) लेना अनिवार्य है। ऐसी परियोजना/

संलग्नक–10

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0–6 (24.12.2019)

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा, हाथरस एवं एटा (उ0प्र0) में भिन्न–भिन्न स्थलों पर 16 नये कोल्ड स्टोरेज की स्थापना/संचालन हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में–बैठक में अवगत कराया गया कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा, हाथरस एवं एटा (उ0प्र0) में भिन्न–भिन्न स्थलों पर 16 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना/संचालन से सम्बन्धित प्रस्ताव पर टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की 48वीं बैठक दिनांक 02.08.2019 में मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाये गये *Status quo* के आदेशों के दृष्टिगत वर्तमान में कोल्ड स्टोरेज के प्रस्ताव को स्थगित रखे जाने के निर्णय पारित किये गये थे।

बैठक में अवगत कराया गया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.03.2016 की वर्गीकृत उद्योगों की सूची में दिनांक वर्गीकृत उद्योगों की सूची में चिलिंग प्लाण्ट, कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस मेकिंग (क्र0सं0–13) हरी श्रेणी के अन्तर्गत है लेकिन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (सीपी डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0 एफ.नं.क्यू–17012/03/2013–सीपीए (पार्ट–V) दिनांक 31.01.2016 द्वारा नए कोल्ड स्टोरेज स्थापित किये जाने हेतु कतिपय शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गयी है। उप निदेशक, स्टेट इन्वायरनमेन्टल इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी, लखनऊ के पत्रांक–813/पर्या–SEIAA-IV/सा0/2017 दिनांक 29.11.2017 द्वारा ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के सम्बन्ध में गाइडलाईंस जारी करते हुये विचार किये जाने का उल्लेख किया गया है।

अवगत कराया गया कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में स्थित वायु प्रदूषणकारी उद्योगों की पहचान किये जाने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय–आदेश सं0 क्यू–18011/30/2011–सीपीए दिनांक 26.09.2018 द्वारा सदस्य–सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 17.11.2018 के क्रम में टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की बैठक में पारित निर्णयानुसार ऐसे प्रोजेक्ट/गतिविधियाँ, जो पर्यावरणीय सुधार तथा जनहित के लिए आवश्यक/उचित हैं, को अनुमन्य किये जाने हेतु पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध किया गया है लेकिन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को संदर्भित किये गये ऐसे प्रोजेक्ट/गतिविधियाँ, जो पर्यावरणीय सुधार के लिए आवश्यक है तथा जनहित की दृष्टि से उचित हैं, को अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र पाल सिंह, वैज्ञानिक–ई द्वारा पर्यावरण मंत्रालय के स्तर से सुविचारित मत टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराया जाये। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा एवं उपनिदेशक, उद्यान विभाग, आगरा से कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के सम्बन्ध में मत/आख्या प्राप्त की जाये। पर्यावरण मंत्रालय से सुविचारित मत प्राप्त होने के उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा एवं उपनिदेशक, उद्यान विभाग, आगरा की आख्या सहित प्रकरण टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही–वैज्ञानिक–ई, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा एवं उपनिदेशक, उद्यान विभाग,आगरा)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0–7 (24.12.2019)

खसरा सं0 84 व 85, ग्राम–संवाई, एत्मादपुर, आगरा पर बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्लाण्ट के संचालन हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में–डा0वी0के0वर्मा, सचिव, मेडिकल पोल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी ने अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.12.2019 द्वारा मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 822/2017 (महेश चन्द्र शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 13.12.2018 को पारित आदेशों के क्रम में खसरा सं0

84 व 85, ग्राम–संवाई, एत्मादपुर, आगरा पर बायो–मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्लाण्ट के संचालन हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

बैठक में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल पर बायो–मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्लाण्ट के संचालन हेतु अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने से सम्बन्धित उक्त प्रस्ताव पर टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की 47वीं दिनांक 10.06.2019 में मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में दिनांक 22.03.2018 को पारित *Status quo* के आदेश तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा दिनांक 08.09.2016 को लगायी गयी तदर्थ रोक प्रभावी होने के दृष्टिगत प्रस्ताव निरस्त किये जाने के निर्णय पारित किये गये थे।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा में एक बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्लाण्ट पूर्व से स्थापित/संचालित है। प्रख्यापित गाइडलाइंस के अनुसार पूर्व स्थापित/संचालित प्लाण्ट से 150 किमी0 की दूरी में कोई अन्य प्लाण्ट नहीं लगाये जाने का प्राविधान था, जो कि वर्ष 2016 में संशोधित होकर 75 किमी0 कर दिया गया है।

आवेदक द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0 F-28552/C-4/NOC/19104 दिनांक 06.03.2004 निर्गत की गयी अनापत्ति की प्रति, जो कि केवल 05 वर्ष के लिए वैध होती है, प्रस्तुत की गयी है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी पत्र सं0 F-23902/C-4/BMW/1 दिनांक 10.05.2013 एवं पत्र सं0 F-7746/C-4/BMW-19/2016 दिनांक 22.04.2016 की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जो मै0मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी को मैलामऊ, भौंती, कानुपर स्थित अपनी सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु प्राधिकार पत्र से सम्बन्धित है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय पारित किये गये कि प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में दिनांक 23.02.2019 को सम्पन्न टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की 46वीं बैठक में गठित की गयी कमेटी द्वारा पुनः स्थल निरीक्षण करते हुये पूर्ण विवरण, जिसमें इकाई की श्रेणी (स्माल/माईक्रो/मैक्रो), प्रदूषण सम्बन्धित औद्योगिक श्रेणी (रेड/ऑरेंज/ग्रीन/व्हाईट), पोल्यूशन इण्डेक्स स्कोर, प्लांण्ट सरकारी अथवा निजी वाणिज्यिक है, पेड़ों के कटान के सम्बन्ध में विवरण, जिला उद्योग केन्द्र एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमतियाँ, आदि सूचनायें भी सम्मिलित हो, अगली बैठक से पूर्व टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाये। कमेटी की रिपोर्ट सहित प्रकरण आगामी बैठक प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही–उपाध्यक्ष, आ0वि0प्रा0/सी0एम0ओ0/क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा)

<u>मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0–8 (24.12.2019)</u>

खसरा सं0–32, ताजगंज वार्ड, मौजा–बुढ़ेरा, आगरा पर फाईव स्टार होटल के निर्माण हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में–अधिकृत हस्ताक्षरी, मै0ब्लूम इन प्रा0लि0, डीपीटी–103, प्राईम टॉवर्स, ओखला फेज–1, नई दिल्ली ने अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.12.2019 द्वारा खसरा सं0–32, ताजगंज वार्ड, मौजा–बुढ़ेरा, आगरा की भूमि पर पंचतारा होटल के निर्माण हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

मै0ब्लूम इन प्रा0लि0 के वाईस–प्रेसीडेन्ट श्री महेश दीक्षित द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी योजना पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से पंजीकृत है तथा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक एम0ओ0यू0 उ0प्र0 इन्वेस्टर समिट–2018 के तहत हस्ताक्षरित हुआ है। उक्त होटल के निर्माण हेतु स्टेट लेवल इन्वायरनमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी, उ0प्र0 से पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 11 जुलाई, 2018 को प्रदान कर दी गयी है तथा अन्य सम्बन्धित विभागों से भी

टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.02.2020 (51वीं) के कार्यवृत्त का अंश।

संलग्नक–11

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0–6 (24.12.2019)

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा, हाथरस एवं एटा (उ0प्र0) में भिन्न–भिन्न स्थलों पर 16 नये कोल्ड स्टोरेज की स्थापना/संचालन हेतु टी0टी0जेड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में–बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि वर्तमान में मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.12.2019 को क्लेरिफाई कराये जाने के सम्बन्ध में टी0टी0जेड0 प्राधिकरण द्वारा मा0सर्वोच्च न्यायालय में आई0ए0 दाखिल कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित/प्रगतिमान है। अतः मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.12.2019 को क्लेरिफाई कराये जाने तक प्रश्नगत प्रकरण को स्थगित रखा जाये।

(कार्यवाही–टी0टी0जेड0प्राधिकरण)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0–7 (24.12.2019)

खसरा सं0 84 व 85, ग्राम–संवाई, एत्मादपुर, आगरा पर बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्लाण्ट के संचालन हेतु टी0टी0जेड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में–डा0वी0के0वर्मा, सचिव, मेडिकल पोल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी ने अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.12.2019 द्वारा मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 822/2017 (महेश चन्द शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 13.12.2018 को पारित आदेशों के क्रम में खसरा सं0 84 व 85, ग्राम–संवाई, एत्मादपुर, आगरा पर बायो–मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्लाण्ट के संचालन हेतु टी0टी0जेड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 822/2017 (महेश चन्द्र शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 13.12.2018 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं–

"........ On request of both the sides, this original application is being disposed of with the following directions:-

1. **That respondent no.9 Ms. Medical Pollution Control Committee shall approach respondent no.8 TTZ Authority, Agra and file an application for seeking their clearance in respect of project in question. The TTZ authority shall look into the application for clearance in accordance to law, but not later than one month from the receipt of the application.**
2. **On having obtained the clearance from TTZ Authority, Agra the respondent no.9 shall seek consent/authorization from UPPCB-respondent no.4.**
3. **The UPPCB is also to look into the status of another unit relating to bio medical waste treatment which was known as Dutt Enterprises and now it is been renamed as M/s. JRR Enterprises.**
4. **In case M/s JRR Enterprises does not possess the requisite clearance/ approval from TTZ Authority and other authorities, then PCB shall immediately proceed against it in accordance to law.**

Accordingly, original application no. 822/2017 is dispose of, with no order as to cost."

पूर्व में रिट याचिका (सिविल) सं0 13381/1984 (एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय दिनांक 22.03.2018 को सम्पूर्ण ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में Status quo के आदेश पारित्त किये गये थे। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में Status quo तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा लगायी गयी तदर्थ रोक प्रभावी होने के कारण टी0टी0जेड0 प्राधिकरण की 47वीं बैठक दिनांक 10.06.2019 में प्रस्ताव निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया था।

वर्तमान में रिट याचिका (सिविल) सं0 13381/1984 (एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत मा0सर्वोच्च द्वारा Status quo के सम्बन्ध में आई0ए0 सं0 103908/2019 में दिनांक 06–12–2019 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये है–

> "6. Learned Counsel for Uttar Pradesh thus submits that in view of compliance of the conditional' status quo order, the State Government and other statutory authorities may now be permitted to grant environmental clearances which are Necessary for providing essential public facilities including drinking water supply, sewerage treatment plant, drainage system, solid waste disposal, Common Effluent Treatment Plant, Bio Medical Waste Treatment Facility, and Waste to Energy Plants etc.
>
> 7. In light of the aforementioned amenities being crucial for securing basic living conditions of TTZ's residents, we are of the opinion that there need not be any impediment for granting necessary clearances for the same. We are conscious of the fact that citizens have a fundamental right to such essential amenities; and how counter-intuitively, not allowing construction of such basic infrastructure can itself create new polluting waste and threaten the environment.
>
> 9. We, thus, clarity that since the interim order dated 22nd March 2018 directing maintenance of status quo was passed to ensure timely submission of the Vision Plan by the State of U.P. and the said direction already stands complied with, there shall be no impediment for the authorities to consider pending environmental clearances which are necessary to secure essential amenities within TTZ. Simultaneously, the State and other statutory authorities are free to consider requests for relocating eco-friendly non-polluting industrial units, subject to them meticulously complying with environmental laws and all norms/conditions laid down by this Court (including those in the main judgment of 30th December 1996). Concurrence with the Central Empowerment Committee and opinion of NEERI shall also be necessary before according such permission."

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–एच–11012/10/2015–सीपीए दिनांक 13.12.2019 द्वारा मा0सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 06.12.2019 के आलोक में तदर्थ रोक को संशोधित करते हुये निम्नवत् सूचित किया गया है–

> "In this context, the undersigned is directed to inform that in view of the directions passed by Hon'ble Supreme Court in the aforesaid matter, the decision taken during a meeting held on 08.09.2016 regarding ad-hoc moratorium on expansion and setting up of new industry (except white category) to control air pollution by TTZ Authority, stands revised to the extent that the project/activities in TTZ eligible as per the directions of the Hon'ble Supreme Court order dated 06.12.2019 (Supra) may be considered."

टी0टी0जेड0 प्राधिकरण की गत 50वीं बैठक दिनांक 24.12.2019 के निर्णयानुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा ने अपने पत्र दिनांक 22.02.2020 द्वारा मै0मेडिकल पोल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, सवाई, एत्मादपुर, आगरा के सम्बन्ध में समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 07.02.2020 उपलब्ध करायी गयी है, जिसके अनुसार उक्त सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 लघु श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.03.2016 को जारी वर्गीकृत उद्योगों की सूची में सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 रेड श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 पाल्यूशन कन्ट्रोल फेसिलिटी है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वर्गीकरण में सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 का पॉल्यूशन इण्डेक्स स्कोर प्रख्यापित नहीं किया गया है। उक्त सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 निजी वाणिज्यिक है। सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 के वर्तमान स्थल परिसर में किसी प्रकार के पेड़ों का कटान नहीं किया जाना है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान स्थल से

सटी हुयी निजी भूमि भी क्रय की गयी है। मै0मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी को उक्त फेसिलिटी स्थापित किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 एफ28552/सी–4/एनओसी/19/04 दिनांक 05.03.2004 द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है, इस इकाई को पूर्व में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 एफ37600 दिनांक 15.10.2004 द्वारा बायो–मेडिकल प्राधिकार–पत्र निर्गत किया गया है।

चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त योजना रेड केटेगिरी में विशेष श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है, अतः मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.12.2019 के क्रम में नीरी की राय एवं सी0ई0सी0 की सहमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा संदर्भित किया जाये।

(कार्यवाही–टी0टी0जैड0प्राधिकरण)

<u>मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0–8 (24.12.2019)</u>

खसरा सं0–32, ताजगंज वार्ड, मौजा–बुढ़ेरा, आगरा पर फाईव स्टार होटल के निर्माण हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में–बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि वर्तमान में मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.12.2019 को क्लेरिफाई कराये जाने के सम्बन्ध में टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा मा0सर्वोच्च न्यायालय में आई0ए0 दाखिल कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित/प्रगतिमान है। अतः मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.12.2019 को क्लेरिफाई कराये जाने तक प्रश्नगत प्रकरण को स्थगित रखा जाये।

(कार्यवाही–टी0टी0जैड0प्राधिकरण)

<u>मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0–9 (24.12.2019)</u>

<u>भारत सरकार की नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजना में मथुरा नगर में 30 एमएलडी का एस0टी0पी0 स्थापित करने के लिए टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में</u>–बैठक में अवगत कराया गया कि परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ0प्र0जल निगम, मथुरा के पत्रांक–319/बैठक दिनांक 28.02.2020 के द्वारा उ0प्र0 जल निगम तथा वन विभाग द्वारा मसानी क्षेत्र में निर्माणाधीन 30 एमएलडी एस0टी0पी0 के स्थल पर किसी भी वृक्ष का न होने/पातन न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ0प्र0 जल निगम, मथुरा के पूर्व में अवगत कराया गया था कि उक्त एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0 31946 दिनांक 28.10.2018 द्वारा Consent to Establish निर्गत की जा चुकी है।

वर्तमान में रिट याचिका (सिविल) सं0 13381/1984 (एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत मा0सर्वोच्च द्वारा Status quo के सम्बन्ध में आई0ए0 सं0 103908/2019 में दिनांक 06–12–2019 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं–

"6. Learned Counsel for Uttar Pradesh thus submits that in view of compliance of the conditional' status quo order, the State Government and other statutory authorities may now be permitted to grant environmental clearances which are Necessary for providing essential public facilities including drinking water supply, sewerage treatment plant, drainage system, solid waste disposal, Common Effluent Treatment Plant, Bio Medical Waste Treatment Facility, and Waste to Energy Plants etc.

7. In light of the aforementioned amenities being crucial for securing basic living conditions of TTZ's residents, we are of the opinion that there need not be any impediment for granting necessary clearances for the same. We are conscious of the fact that citizens have a fundamental right to such essential amenities; and how counter-intuitively, not allowing construction of such basic infrastructure can itself create new polluting waste and threaten the environment.

दिनांक 16.12.2021 को सम्पन्न टी0टी0जेड0 प्राधिकरण की 55वीं बैठक के कार्यवृत्त का अंश।

संलग्नक–12

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0–7 (24.12.2019)

खसरा सं0 84 व 85, ग्राम–संवाई, एत्मादपुर, आगरा पर बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्लाण्ट के संचालन हेतु टी0टी0जेड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में–बैठक में अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में टी0टी0जेड0 प्राधिकरण द्वारा सी0ई0सी0 को वांछित कमेण्ट्स पत्र दिनांक 08.01.2021 द्वारा प्रेषित कर दिये गये हैं। सी0ई0सी0 एवं नीरी का अभिमत/सहमति अपेक्षित है। क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.04.2016 के अनुसार कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसेलिटी की स्थापना हेतु इन्वायरनमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट कराया जाना आवश्यक है। मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2021 को पारित आदेशानुसार ऐसी परियोजनायें, जिनके लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी है, हेतु स्टेट इन्वायरनमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी, उ0प्र0 में आवेदन किया जाना होगा।

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2021 को पारित आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही–टी0टी0जेड0 प्राधिकरण)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0–8 (24.12.2019)

खसरा सं0–32, ताजगंज वार्ड, मौजा–बुढ़ेरा, आगरा पर फाईव स्टार होटल के निर्माण हेतु टी0टी0जेड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में–बैठक में अवगत कराया गया कि उक्त पंचतारा होटल सम्बन्धी योजना पर्यटन विभाग, उ0प्र0 सरकार से पंजीकृत है तथा उ0प्र0 इन्वेस्टर समिट–2018 के तहत कम्पनी तथा उ0प्र0 सरकार के मध्य एम0ओ0यू0 निष्पादित हुआ है। उक्त पंचतारा होटल हेतु स्टेट लेवल इन्वायरनमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 11.07.2018 द्वारा सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके अन्तर्गत उल्लिखित विशिष्ट शर्त/प्रतिबंध सं0–9 के अनुसार होटल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व होटल हेतु टी0टी0जेड0 प्राधिकरण की एन0ओ0सी0 प्राप्त करना अनिवार्य है। स्टेट लेवल इन्वायरनमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी, उ0प्र0 द्वारा जारी उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 11.07.2018 के अनुसार 204 कक्षों के प्रस्तावित पंचतारा होटल का कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 19251.10 वर्गमी0 है, जिसके अन्तर्गत होटल का कुल बिल्टअप एरिया 27422.40 वर्गमी0 है। होटल का कुल वाटर कन्ज़प्शन 352 केएलडी प्रस्तावित है। परियोजना संचालन से लगभग 183 किली0/दिन घरेलू उत्प्रवाह जनित होना प्रस्तावित है। होटल के लिए 2.4 एमवीए का इलैक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया जायेगा तथा 02 नग गैस आधारित डी0जी0 सेट्स (प्रत्येक 1500 केवीए) स्थापित किये जायेगें, जो कि विद्युतापूर्ति बाधित होने की दशा में ही आवश्यकतानुसार संचालित किये जायेगें। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के पत्र दिनांक 19.02.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार स्थल पर एक हरा पीपल का पेड़ विद्यमान है, जिसका प्रस्तावक द्वारा पातन नही किया जाना है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.03.2016 को जारी वर्गीकृत उद्योगों की सूची में क्रमांक–31 पर अंकित **"Hotels having overall waste water generation @ 100 KLD and more"** का वायु प्रदूषण स्कोर 15 दर्शित है, जो लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। अतएव् प्रश्नगत सिविल रिट याचिका के अंतर्गत आई0ए0 सं0–42482/2020 में मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2021 को जारी उक्त आदेशों के क्रम में होटल्स के लिए सर्वप्रथम नीरी से सेक्टोरियल गाइडलाइन्स प्राप्त की जाये। तदुपरान्त नीरी की सेक्टोरियल गाइडलाइन्स सहित प्रकरण बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही–टी0टी0जेड0 प्राधिकरण)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0–9 (24.12.2019)

भारत सरकार की नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजना में मथुरा नगर में 30 एमएलडी का एस0टी0पी0 स्थापित करने के लिए टी0टी0जेड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में–बैठक में अवगत कराया गया कि मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.12.2019 के क्रम में प्रश्नगत एस0टी0पी0 की स्थापना के सम्बन्ध में हेतु नीरी के पत्र दिनांक 29.04.2021 द्वारा अभिमत प्राप्त हो गया है तथा परियोजनान्तर्गत कोई पेड़ नहीं काटा जाना है, इसलिए मा0सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम आदेश दिनांक 08.12.2021 के अनुसार सी0ई0सी0 की सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है। मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सि0) सं0 13381/1984–